न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S 4/2020

23.08.2022 वादी की ओर से हाजरी साथ शपथ पत्र से संपुष्ट आदेश–6 नियम–17 के अन्तर्गत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया।

वाद पुकार पर वादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को इनके आवेदन पर सुना। इनका कथन है कि टंकण भूल के कारण मूल वाद–पत्र मे प्रतिवादी सं0–3 एवं 4 के पता में गलत टंकण हो गया है, जिसे संशोधन कर सही पता अंकित करना चाहते है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही हो रहा है। अतः वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर वाद–पत्र में संशोधन करे।

वाद दिनांक–31.08.2022 वास्ते आपेक्ष।

मुंसिफ

s/d

बनमनखी।